क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	30/10/24	पत्रावली [illegible] साहब अन्य राज्य [illegible] अत: पत्रावली पूर्वा[illegible] 11/12/24 को पेश हो।
	11/12/24	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन [illegible] अन्य राज्य कार्य में व्यस्त [illegible] पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 31/1/25 को पेश हो।
	31/1/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी व प्रति.सं. 1, 2 व 7 उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1, 2 व 7 को जवाबदावा पेश करने हेतु न्यायहित में एक अन्तिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली दिनांक 21/2/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)
	21/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रति. सं. 1, 2 व 7 अनुप. प्रति. सं. 1, 2 व 7 की ओर से जवाबदावा पेश नहीं। जवाब बन्द किया जाता है। वकील उपस्थित पक्ष अन्य वादी का वाद डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सुनाया गया) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Pr my Adv. manoj ji

R/ce

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय जयपुर

वाद पत्र संख्या 228 / 2023

1 श्रीमती लादी पत्नी स्व0 श्री छाजूराम जाति मीना निवासी ई–6 अ
मोती डुगरी थाने के पिछे, आदर्शनगर जयपुर

2 श्रीमती तारा पुत्री स्व0 श्री छाजूराम पत्नी श्री विनोद जाति मीना नि
न0 102 स्वरूप विहार जयपुर

3 श्रीमती मधु पुत्री स्व0 छाजूराम पत्नी श्री कुन्दन कुमार जाति मी
सी–14 तिरूपति नगर बुद्वसिंहपुरा सांगानेर जयपुर

बनाम

Adv 1 लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व0 श्री छाजूराम जाति मीना निवासी मकान
बजाज की गली, तिरूपति बालाजी नगर, सीताराम कालोनी सां

Adv 2 श्रीमती चन्दा पुत्री स्व0 श्री छाजूराम पत्नी श्री सोहनलाल जाति
हरदेव कॉलोनी टोंक रोड जयपुर

Exp
3 श्रवण पुत्र रामलाल जाति मीना निवासी मकान न0 6 बृजविहार व
मार्ग लुनियावास जयपुर

4 राजकुमार पुत्र रामलाल जाति मीना निवासी मकान न0 6 बृजवि
गोनेर मार्ग लुनियावास जयपुर

5 श्रीमती गुलाब पुत्री रामलाल पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति मीना नि
वार्ड न0 28 झालाना डुगर बाईजी की कोठी, जनता कॉलोनी ज

6 श्रीमती कृष्णा पुत्री रामलाल पत्नी अरूण कुमार जाति मीना नि
आनन्दपुरी त्रिपोलिया बाजार आदर्श नगर जयपुर

Adv 7 श्रीमती शान्ति देवी पत्नी स्व0 श्री रामलाल निवासी मकान न0
कॉलानी गोंनेर मार्ग लुनियावास जयपुर

Tarameena   मधु मीणा

अं. नि. लादी देवी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 228/2023
निर्णय दिनांक: 21.02.2025

उनवानी

1. श्रीमति लादी पत्नी स्व श्री छाजूराम जाति मीना निवासी ई–6 आनन्दपुरी मोती डुगरी थाने के पिछे , आर्दश नगर जयपुर।
2. श्रीमति तारा देवी पुत्री स्व. श्री छाजूराम पत्नी श्री विनोद जाति मीना निवासी प्लाट नम्बर 102 स्वरूप विहार जयपुर
3. श्रीमति मधु पुत्री स्व. छाजूराम पत्नी श्री कुन्दन कुमार जाति मीना निवासी सी–14 तिरूपति नगर बुद्धसिंहपुरा सांगानेर जयपुर।

–वादीगण

बनाम

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र स्व. श्री छाजूराम जाति मीना निवासी मकान नम्बर 41 मिया बजाज की गली, तिरूपति बालाजी नगर सीताराम कालोनी सांगानेर जयपुर
2. श्रीमति चन्दा पुत्री स्व. श्री छाजूराम पत्नी श्री सोहनलाल जाति मीना निवासी हरदेव कॉलोनी टोक रोड जयपुर
3. श्रवण पुत्र रामलाल जाति मीना निवासी मकान नं. 6 बृजविहार कॉलोनी गोनेर मार्ग लुनिवायास जयपुर।
1. राजकुमार पुत्र रामलाल जाति मीना निवासी मकान नम्बर 6 बृजविहार कॉलोनी गोनेर मार्ग लुनिवायास जयपुर।
. श्रीमति गुलाब पुत्री रामलाल पत्नी जोगेन्द्र सिंह जाति मीनाा निवासी सी– 48 वार्ड नम्बर 28 झालाना डुगर बाईजी की कोठी, जनता कॉलोनी जयपुर
. श्रीमति कृष्णा पुत्री रामलाल पत्नी अरूण कुमार जाति मीनाा निवासी ई– 55 आनन्दपुरी त्रिपोलिया बाजार आदर्श नगर जयपुर।
श्रीमति शान्ति देवी पत्नी स्व. श्री रामलाल निवासी मकान नम्बर 6 बृजविहार कॉलोनी गोनेर मार्ग लुनिवायास जयपुर।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक द्वितीय, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा, तकासमा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सीमानिर्धारण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956

वादीगण ने वाद बाबत् घोषणा, तकासमा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व सीमानिर्धारण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 का पेश किया जिसका सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 की पैतृक आराजी कृषि भुमि ख.सं. 192/819 रकबा 0.07 है0, ख.सं. 195 रकबा 0.68 है0, ख.सं. 198 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम महल पटवार हल्का जगतपुरा तहसील सांगानेर में स्थित है जो कि वादी संख्या 1 के पति , वादी संख्या 2 व 3 व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता व प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 के दादा, प्रतिवादी संख्या 7 के ससूर स्व. श्री छाजूराम के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है तथा छाजूराम का देहान्त हो चुका है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 स्व. छाजूराम के विधिक वारिस है तथा पैरा नं. 2 में वर्णित आराजीयात में विधिक वारिस होने के कारण वादीगण प्रत्येक का हिस्स 1/6–1/6 यानि सम्पूर्ण में 1/2 तथा प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी संख्या 2 की हिस्सा 1/6 तथा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 का हिस्सा 1/6 जन्म से निहित है। प्रतिवादी संख्या 3 ता 7 स्व0 रामलाल के विधिक वारिस है। उक्त आराजीयात पर वादीगण अपने 1/2 हिस्स पर स्व0 छाजूराम के जीवनकाल से काविज होकर कृषि काश्त करते आ रहे तथा आज भी मौके पर काविज काश्त

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

है। तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। स्व. छाजूराम की मृत्यु के पश्चात विरासत का नामान्तकरण खोला जाना था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 7 ने साजिस कर गलत रूप से स्व0 छाजूराम के अपने आप को विधिक वारिस बताते हुए नामांन्तकरण संख्या 234 दिनांक 21.09.2023 को भरवा दिया जो वर्तमान में प्रक्रियाधीन है जिसकी जानकारी वादीगण को दिनांक 03.12.2023 को जब हुयी जब वादीगण ने उक्त भुमि की जमाबन्दी की नकल प्राप्त की। दिनांक 04.12.2023 को वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा कि हम भी स्व0 छाजूराम के जीवकाल से ही कब्जा काश्त है। आपने यह तथ्य छुपाकर गलत रूप से नामान्तकरण खुलवाने की कार्यवाही क्यू की है इस पर प्रतिवादीगण ने वादीगण को कहा कि उक्त जमीन में तुम्हारा कोई लेना देना नही है इस पर वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 8 के यहा पर प्रस्तूत किया। दिनांक 04.12.2023 को वादीगण को प्रतिवादीगण ने धमकी दी है कि हम प्रतिवादीगण संख्या 8 के यहां से जन्द ही उक्त भुमि का नामान्तकरण हमारे नाम से तस्दीक करवाकर दिगर व्यक्तियों को विक्रय कर देगें। तथा आपकों जबरन उक्त भूमि से बेदखल करवा देगे। इस कारण वादीगण को यह वाद पत्र वास्ते घोषणा, तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा व सीमानिर्धारण का पेश करना आवश्यक हुआ। वादीगण स्व0 छाजूराम के विधिक वारिस होने के कारण उक्त आराजीयात में वादीगण का 1/2 हिस्सा निहित है अगर प्रतिवादीगण अपने नाजायज इरादों में सफल हो जाते है तो वादीगण अपने हक हकूकों की उक्त आराजीयात से हमेशा–हमेशा के लिए महरूम हो जायेगें। जिसकी कमी पूर्ती किया जाना सम्भव नही होगा। वादीगण घोषणा करवाने के अधिकारी है कि वाद पत्र के पैरा नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मिटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर वादीगण के 1/2 हिस्से का अलग से बटवारां कर राजस्व रिकार्ड में अंकित किया जावे तथा उसी अनुसर अलग से खाता निर्धारित किया जाकर सीमा निर्धारण किया जावे। तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि जब तक उक्त भुमि की घोषणा वादीगण के नाम से नही जावे तब तक वाद पत्र के पैरा नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात में किसी प्रकार की नामान्तकरण की कार्यवाही अपने नाम से नही करने न उक्त आराजीयात का विक्रय पत्र रहन, इकरारनामा इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति, संस्था, गृह निर्माण सहकारी समिति आदि को करे तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे तथा प्रतिवादी संख्या 8 को पाबन्द फरमाये जावे की उक्त आराजीयात में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रतिवादी संख्या 9 को उक्त आराजीयात का विक्रय पत्र , इकरारनामा, इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति के नाम से नही करने बाबत् पाबन्द फरमाया जावे। वाद कारण दिनांक 03.12.2023 को उक्त भुमि की जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने पर जब शुरू हुआ जब प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 7 ने साजिस कर गलत रूप से स्व. छाजूराम के अपने आप को विधिक वारिस बताते हुए नामान्तकरण संख्या 234 दिनांक 21.09.2023 को भरवाया तथा दिनांक 04.12.2023 को प्रतिवादीगण ने वादीगण को कहा कि उक्त जमीन में तुम्हारा कोई लेना देना नही है तथा बेदखल करने की धमकी देने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

अतः वादपत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हे कि वादी बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार डिक्री फरवाये जावे की पैतृक आराजी कृषि भुमि ख.सं. 192/819 रकबा 0.07 है0, ख. सं. 195 रकबा 0.68 है0, ख.सं. 198 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम महल पटवार हल्का जगतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादीगण को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर मिटस एण्ड बाउण्डस के आधारा पर वादीगण के 1/2 हिस्से का अलग से बटवारा कर राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया जावे तथा उसी अनुसार अलग से खाता निर्धारित किया जाकर सीमा निर्धारण किया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाये जावे कि जब तक उक्त भुमि की घोषणा वादीगण के नाम से नही हो जावे तब तक वाद पत्र के पैरा नम्बर 2 में वर्णित आराजीयात में किसी प्रकार की नामान्तकरण की कार्यवाही अपने नाम से नही करे न उक्त आराजीयात का विक्रय पत्र, रहन, इकरारनामा, इत्यादि किसी दिगर व्यक्तित्र, संस्था, गृह निर्माण सहकारी समिति आदि को करे तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे तथा प्रतिवादी संख्या 8 को पावन्द फरमाये जावे की उक्त आराजीयात में राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

संख्या 9 को उक्त आराजीयात का विक्रय पत्र , इकरारनामा, इत्यादि किसी दिगर व्यक्ति के नाम से नही करने बाबत् पाबन्ध फरमाया जावे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 05.01.2024 को प्रतिवादी संख्या 1,व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश चौधरी एवं प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री हिमांशु श्रीमाल ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 का तामिलशुदा नोटिस प्राप्त। दिनांक 27.09.2024 को प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लायी जाने के आदेश दिये गये। दिनांक 21.02.2025 को प्रतिवादी संख्या 1, 2, 7 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नही करने पर उनके जवाब दावे का अवसर बन्द किया जाता है।

बहस उभयपक्षकारान सूनी गयी। वादीगण अधिवक्ता ने अपने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि उक्त प्रकरण छाजूराम की विरासत के नामान्तकरण को चुनौती देते हुए घोषणा चाही गयी है। इसलिए वादीगण का वाद डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादीगण द्वारा उक्त वाद विरासत के सम्बंध में प्रस्तुत किया गया है जो विरासत का नामान्तकरण सक्षम अधिकारी द्वारा तस्दीक किया जा सकता है। इसलिए वादीगण का वाद मय हर्जे खर्चे के खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्षकारान पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया। अवलोकन से हम इस निष्कर्ष पर पहुचे कि वादग्रस्त भुमि छाजूराम पुत्र रामदेव के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी में खातेदार काश्तकार के विरासत का नामान्तरकरण संख्या 234 दिनांक 21.09.2023 प्रक्रियाधीन है जिससे स्पष्ट हो जाता है कि छाजूराम पुत्र रामदेव की मृत्यु हो चुकी है तथा वादीगण द्वारा खातेदार काश्तकार छाजूराम पुत्र रामदेव के वारिसान बताते हुए घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। इस सम्बंध में प्रतिवादीगण का यह तर्क रहा की वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद विरासत के नामान्तरकरण के सम्बंध में प्रस्तुत किया गया है। जिसका निस्तारण सक्षम अधिकारी द्वारा किया जाना है। उक्त वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मूल विवाद विरासत के नामान्तरकरण से सम्बंधित है जिसका निस्तारण नियमानुसार जांच कर ग्राम पंचायत/तहसीलदार द्वारा किया जाना है, ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से डिक्री किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादग्रस्त आराजी कृषि भुमि ख.सं. 192/819 रकबा 0.07 है0, ख.सं. 195 रकबा 0.68 है0, ख.सं. 198 रकबा 0.01 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.70 है0 वाके ग्राम महल पटवार हल्का जगतपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित खातेदार काश्तकार छाजूराम पुत्र रामदेव की विरासत का नामान्तरकरण उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर देते हुए नियमानुसार तस्दीक कर राजस्व रिकार्ड में अंकन करे। विभाजन के सम्बंध में खातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन होने के उपरान्त कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र है। निर्णय के मुताबिक डिक्री पृथक से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर